



2026:AHC-LKO:20255

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10237 वर्ष 2025

मोनू मिश्रा @ शिव शक्ति मिश्रा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं
अन्य

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता	:	लक्ष्मी कांत त्रिपाठी, प्रिया सिंह
विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता (G.A.)

न्यायालय संख्या - 13माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

1. सुश्री दीक्षा सिंह, अधिवक्ता, जो श्री लक्ष्मी कांत त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता, की ओर से प्रस्तुत हुई, को सुना गया। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को भी सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन, आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 293 वर्ष 2024, धारा 103(1) एवं 115(2) भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.), थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ में जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. तात्कालिक आवेदन पर बल देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. यह कथित है कि आवेदक, अर्थात् मोनू मिश्रा @ शिव शक्ति मिश्रा, जो कि प्राथमिकी संख्या 293 वर्ष 2024, दिनांक 11.07.2024 को धारा 103(1) एवं 115(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ में नामजद है, का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 11.07.2024 से कारागार में निरुद्ध है।

5. यह भी कथित है कि प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक द्वारा ही सूचना देने वाले के लगभग 6 वर्ष आयु के पुत्र को घातक चोट पहुंचाई गई।

6. यह भी कथित है कि सूचनाकर्ता/प्रत्यक्षदर्शी, काजल @ अंकिता विश्वकर्मा, पत्नी रमेश कुमार (जो मृतक की माता हैं) का बयान विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित किया जा चुका है, जिसकी प्रति प्रत्युत्तर हलफनामा दिनांक 19.12.2025 के साथ पृष्ठ 10 पर संलग्न की गई है। उसके अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि उक्त साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया, अतः उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। विचारण न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर राज्य पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जिरह किए जाने पर भी आवेदक के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल प्राप्त नहीं हुआ।

7. यह भी कथित है कि उपर्युक्त तथ्यों, विशेष रूप से इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि घटना का मुख्य साक्षी विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं कर रहा है तथा आवेदक दिनांक 11.07.2024 से निरुद्ध है, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है और आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यह भी आश्वासन दिया गया है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, आवेदक के अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के तर्कों, प्राथमिकी, तथा इस तथ्य कि आवेदक दिनांक 11.07.2024 से कारागार में निरुद्ध है, साथ ही वर्तमान प्रकरण में आवेदक के दोषसिद्धि की संभावनाओं एवं यह तथ्य कि उपर्युक्त नामित मुख्य तथ्य साक्षी ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है, के समुचित विचारोपरांत यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान आवेदक का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, इसे स्वीकार किया जाता है।

10. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **मोनू मिश्रा @ शिव शक्ति मिश्रा** को उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में ₹25,000/- के निजी मुचलके तथा समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव/धमकी नहीं डालेगा।
- (iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा। आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से विरत हो जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vi) आवेदक उन तिथियों पर, जो साक्ष्य हेतु नियत हैं और जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(vii) आवेदक धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन दर्ज किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

11. उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

12. चूँकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

दिनांक: 19 मार्च, 2026

प्रीति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।